रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022022-233097
CG-DL-E-03022022-233097

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2022/माघ 13, 1943
No. 96] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2022/ MAGHA 13, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 98(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (......संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. उक्त नियम के नियम 62 के उप-नियम (1) में -

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	आठ साल पुराने वाहनों के लिए दो साल और आठ साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए एक साल। फिटनेस अनिवार्य रूप से, स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम 175 के अनुसार पंजीकृत किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही निम्नानुसार किया जाएगा - (i) भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल 2023 से और (ii) मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 01 जून 2024 से"

[सं. आरटी-25035/05/2021-आरएस]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण.-मुख्य नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), दिनांकित 02 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा. का. नि._____ (अ) दिनांकित ______ के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2022

G.S.R. 98(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 56 (1) of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period only will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short Title and commencement. -(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of publication.

2. In the said rule, in rule 62, in sub-rule (1), -

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) renewal of certificate of fitness in respect of transport vehicles	Two years for vehicles up to eight years old and one year for vehicles older than eight years. Fitness shall be done mandatorily, only through an Automated Testing Station registered in accordance with the rule 175 for recognition, regulation and control of automated testing station as under – i. For Heavy Goods Vehicles/Heavy Passenger Motor Vehicles with effect from 01st April 2023 onwards, and ii. for Medium Goods Vehicles/Medium Passenger Motor Vehicles and Light Motor vehicles (Transport) with effect from 01st June 2024 onwards.”;

[No. RT-25035/05/2021-RS]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.